01C

सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 20 / 1134 / 12.13 दिनांक: 12 .05.2017

के मामले में :–

श्री चमन लाल उर्फ चमन दास, R978
डीपी / 34, शक्तिपुरम कालोनी,
चिन्याली सौड, जिला – उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड – शिकायतकर्ता

बनाम

दि चण्डीगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड R979
(द्वारा – महा प्रबधक),
सैक्टर – 17बी,
चण्डीगढ़ .... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 26.10.2016

उपस्थित:
1. श्री अनिल कुमार सपुत्र श्री चमन लाल व श्री बृजमोहन, शिकायतकर्ता की ओर से ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता 100 प्रतिशत अस्थिबाधित ने निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उपरोक्त बैंक से लिए गए ऋण में रियायत संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 17.02.2013 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वह अनुसूचित जाति का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला आवासहीन एवं भूमिहीन व्यक्ति है । उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जिनमे से 5 नाबालिक बच्चे हैं एवं परिवार की आय का कोई साधन नहीं है, जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है । प्रार्थी ने वर्ष 1999–2000 में दि चण्डीगढ़ स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. शाखा सेक्टर 45, बुड़ैल, चण्डीगढ़ से 20,000/– रूपए का ऋण लिया था जिसके उपरान्त वर्ष 2000–2001 में दुर्घटना होने के कारण वह 100 प्रतिशत निःशक्त हो गया । प्रार्थी ने बैंक को अपनी निःशक्तता से तत्काल अवगत कराया

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

परन्तु बैंक प्रत्यर्थी को प्रत्येक माह नोटिस भेज रहा है, जिसके कारण वह भयभीत है । प्रार्थी का कहना है कि उसके द्वारा बैंक की मूलधन राशि 19,993/– रूपए के संदर्भ में 19,973/– रूपए जमा कराए जा चुके हैं एवं केवल 620/– रूप्ए शेष देय हैं । शिकायतकर्ता ने निवेदन किया है कि बैंक को देय शेष राशि माफ करवायी जाए क्योंकि वह उक्त राशि को चुका ने में असमर्थ है ।

3. मामला इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.04.2013 द्वारा महापबंधक, दिं चण्डीगढ सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ उठाया गया । जब पर्याप्त समय व्यतीत होने के बावजूद भी मामले में प्रतिवादी के टिप्पण प्राप्त नहीं हुए तो अनुस्मारक पत्र दिनांक 12.06.2013 भेजा गया ।

4. महाप्रबंधक, दि चण्डीगढ सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने पत्रांक सीएससीबी/2013–14/1135 दिनांक 10.08.2013 द्वारा सूचित किया कि श्री चमन लाल की बकाया राशि माफ करने की प्रार्थना बैंक अध्यक्ष के सामने रखी गयी थी जिन्होंने अवलोकन किया कि बकाया राशि माफ करने की कोई नीति नहीं है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि निदेशक मण्डल की सभा में इस मामले को निदेशक मण्डल के सामने निर्णय हेतु रखा जाये । निदेशक मण्डल की सभा काफी समय से आयोजित नहीं की गयी है, परन्तु अगले एक तथा दो महीने में आयोजित होने की संभावना हैं तब कभी निदेशक मण्डल की सभा की तिथि तय होगी श्री चमन लाल की बकाया राशि को माफ करने की प्रार्थना निदेशक मण्डल के सामने उनके निर्णय हेतु रखी जायेगी और तदनुसार बैंक इस कार्यालय को यथा समय अवगत करा देगा ।

5. इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2013 द्वारा बैंक के उपरोक्त पत्र की प्रति शिकायतकर्ता के सूचनार्थ हेतु भेजी गई । उक्त पत्र की एक प्रति महाप्रबंधक, दि चण्डीगढ सहकारी बैंक लिमिटेड को इस आशय के साथ प्रेषित की गई कि वे निदेशक मण्डल की सभा से इस न्यायालय को अवगत करायें।

6. प्रतिवादी ने पर्याप्त समय व्यतीत होने के बावजूद निदेशक मण्डल की सभा द्वारा लिये गये निर्णय से इस न्यायालय को अवगत नहीं कराया, इसलिए स्मरण पत्र दिनांक 14.11.2013 द्वारा अनुरोध किया गया कि मामले की वर्तमान स्थिति से इस न्यायालय को दिनांक 30.11.2013 तक अवगत करायें।

7. महाप्रबंधक, दि चण्डीगढ सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने पत्रांक सीएससीबी/2013–14/1913 दिनांक 02.11.2013 द्वारा सूचित किया कि श्री चमन लाल की बकाया राशि माफ करने की प्रार्थना निदेशक मण्डल की दिनांक 23.10.2013 को हुई सभा में रखी गयी थी और मण्डल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 23.10.2013 द्वारा यह संकल्प लिया है कि प्रत्येक शाखा प्रभारी निदेशक, प्रभारी शाखा और अगले सबसे वरिष्ठ कर्मचारी को निहित कर एक स्थानीय स्तरीय समिति गठित करेगी जो आत्मकेन्द्रीत, सेरेब्रेल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांग व्यक्तियों से संबंधित प्रकरणों को देखेगी । उक्त समिति ऐसे प्रकरणों की सिफारिशें प्रधान कार्यालय को भेजेगी और बैंक का प्रबंध निदेशक संबंधित स्थानीय स्तरीय समिति के प्रत्येक सिफारिश प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी होगें । उक्त समिति का संघटन प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित होना चाहिए, इसलिए निदेशक मण्डल ने श्री चमन लाल के प्रकरण को संबंधित शाखा अर्थात बुडैल शाखा को स्थानीय स्तरीय समिति के विचारार्थ हेतु भेजने का संकल्प लिया है। बैंक के प्रधान कार्यालय को स्थानीय स्तरीय समिति बुडैल शाखा से श्री चमन लाल का प्रकरण प्रबंध निदेशक द्वारा लिये जाने वाले निर्णय हेतु प्राप्त हुआ है।

8. उपरोक्त पत्र दिनांक 02.11.2013 के संदर्भ में पुनः प्रतिवादी को स्मरण पत्र दिनांक 10.02.2014 भेजा गया ।

9. महाप्रबंधक दि चण्डीगढ सहकारी बैंक लिमिटेड ने अपने पत्रांक सीएससबी/2013–14/1060 दिनांक 14.08.2014 द्वारा सूचित किया है कि श्री चमन लाल की बकाया राशि माफ करने की प्रार्थना दिनांक 31.05.2014 को आयोजित सभा में निदेशक मण्डल के सामने रखी गयी थी । निदेशक मण्डल ने प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 31.05.2014 निम्नलिखित पास किया है:–

> "श्री चमन लाल का ऋण माफ करने का प्रकरण जिसकी उप मुख्य आयुक्त निःशक्तजन द्वारा अनुशंसा की गई थी, पर विचार किया गया; परन्तु निदेशक मण्डल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि ऋणी अभी जिन्दा है और उनका ऋण माफ नहीं किया जा सकता है।"

10. प्रतिवादी ने अपने पत्रांक 299/18–12–2014 दिनांक 18.12.2014 द्वारा सूचित किया कि श्री चमन लाल, खाता सं. 3(000318014000001) को दिनांक 20.10.1999 को रू 20000 ऋण दिया गया था । कथित खाते में रू 19373 जमा किये गये । बैंक के रिकार्ड अनुसार खाते का निम्न विवरण दिया गया –

ऋण – रू.20000 (20.10.1999)

जमाराशि– रू19373

बकाया राशि–रू17593(18.12.2014 के रूप में बिना ब्याज डेबिट किये)

ब्याज लगभग–रू 41947(31.12.2014)

11. प्रतिवादी से प्राप्त पत्रों क्रमशः दिनांक 10.08.2013, 02.11.2013, 14.08.2014 एवं 18.12.2014 की प्रति शिकायतकर्ता को उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2015 द्वारा अपने टिप्पण भेजकर निवेदन किया कि उनकी गरीबी एवं अक्षमता की स्थिति को मध्यनज़र रखते हुए बैंक ऋण से निजात दिलवाने के साथ–साथ नो डयूज़ दिलवाने की कृपा करें ।

12. प्रातिवादी के पत्र दिनांक 10.08.2013, 02.11.2013, 14.08.2014 एवं 18.12.2014 और शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 12.02.2015 को मध्यनजर रखते हुए मामले में सुनवाई दिनांक 26.10.2016 को निर्धारित की गई ।

13. दिनांक 26.10.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने शिकायतकर्ता के लिखित कथनों को दोहराया और पुनः निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की गरीबी और अक्षमता की स्थिति को मध्यनज़र रखते हुए बैंक ऋण से निजात दिलवाने के साथ–साथ नो डयूज़ दिलवाने की कृपा करें ।

KK

14. प्रतिवादी की ओर सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 22.09.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी । प्रतिवादी की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गम्भीरता से लिया है ।

15. शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि को सुनने और उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि इस मामले में यद्यपि प्रतिवादी की ओर से निःशक्त अधिनियम की किसी धारा या सरकारी दिशा–निर्देशों का कोई उल्लंघन प्रतीत नहीं होता तथापि प्रतिवादी को यह सलाह दी जाती है कि वे शिकायतकर्ता की विकलांगता, निर्धनता एवं उनके परिवार की दयनीय स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और लिए गए निर्णय से इस न्यायालय को अवगत कराएं ।

16. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

कमलेश कुमार

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन